(122)

संख्या–134/XVI-2/10/ 7(5)/2012

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
प्रेमनगर देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–2 **देहरादूनः दिनांकः 21 मार्च, 2012**

विषयः–वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान सख्या–29 आयोजनागत पक्ष की राज्य सैक्टर के अन्तर्गत केन्द्र पोषित केटैलिटिक योजना हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2620/रेशम/तक0अनु0/बजट/11–12 दिनांक 15 मार्च 2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में आयोजनागत पक्ष की राज्य सेक्टर के अन्तर्गत केन्द्र पोषित कैटेलैटिक योजना मदों में कुल प्राविधानित धनराशि ₹92.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि ₹37.00 लाख में से ₹14.00 लाख (₹चौदह लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के लिये ही किया जायेगा एवं धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों के किया जायेगा।

(2) उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1,उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–209 /XXVII(1)/2011,दिनांक–31 मार्च, 2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम)आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा,तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर /साफ्टवेयर का कय सूचना प्रौद्योगिकी (I.T.)विभाग के शासनादेशों/दिशा– निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(4) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत यथा स्थिति जहाँ शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

(6) व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(7) योजनावार स्वीकृत धनराशि का व्यय सम्बन्धित योजना के संगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही की जायेगी। किसी भी दशा में संगत दिशा–निर्देशों से इतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि विभागीय आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न होने पाये।

(9) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत 119–बागवानी एवं सब्जियों की फसलें, 07–शहतूत की खेती एवं रेशम विकास, 0705–केन्द्र पोषित कैटेलैटिक योजनायें (90 प्रतिशत के0पो0) 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

(10) यह आदेश प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के पत्र संख्या–209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च 2011 में प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या–134-(1)/XVI-2/10/7(5)/2012,तददिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
5. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–4,उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव।